

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी - श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 129/2016

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

पूनमाराम पुत्र रामजी जाति पटेल (चौधरी)
निवासी बुडिवाड़ा तहसील पचपदरा जिला
बाडमेर

- देदा उर्फ दूदाराम पुत्र नाथाराम जाति पटेल (चौधरी) निवासी बुडिवाड़ा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर
- राजरथान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अन्तिम डिक्री

दिनांक 16.02.2022

संक्षिप्त में वाद कथन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बुडिवाड़ा तहसील पचपदरा में स्थित भूमि खसरा नं० 212, 316, 334 रकबा क्रमशः 58- 14 बीघा, 2-15 बीघा, 37-11 बीघा के सम्बन्ध में प्रस्तुत वाद दिनांक 21.06.2018 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार, पचपदरा को मोके पर उभय पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार विभाजन कर प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री विभाजन प्रस्ताव अपने पत्रांक 2066 दिनांक 09.12.2021 से तैयार कर उपलब्ध कराया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व मोके पर सह खातेदारान मोतबरान व पड़ोसी काश्तकारों के रुबरू मोका देखा। उभय पक्ष को तलब कर उपस्थित वादी / प्रतिवादी के समक्ष विभाजन प्रस्ताव मोके के कब्जा काश्त एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अंकित खातेदारों के अनुसार तैयार किया गया प्रतिवेदित हुआ है, जिसे स्वीकार करने में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।


वादी के वाद एवं विभाजन प्रस्ताव को फाईनल रूप से निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी पृथक-पृथक विभाजित की जाती है:-


क्र. सं.	नाम खातेदार	नाम ग्राम	खसरा नं.	रकबा (बीघा में)	किस्म भूमि	लगान (रु०)	नक्शा में अंकित रंग
1	देदाराम पुत्र नाथाराम जाति कलबी निवासी बुडिवाड़ा रहन एसबीबीजे टापरा	बुडीवाड़ा	212	29-07	बा.दो.	4.40	पीला
			316	02-11		0.38	
			334	17-12		17.12	
		योग	03	49-10	बा.दो.	7.43	
2	पूनमाराम पुत्र रामजीराम जाति कलबी निवासी बुडिवाड़ा रहन एसबीबीजे टापरा	बुडीवाड़ा	212	29-07	बा.दो.	4.41	लाल
			316	0-04		0.03	
			334	19-19		2.98	
		योग	03	49-10	बा.दो.	7.43	

तहसीलदार, पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरण भरकर बाद जांच तस्दीक करे संलग्न नामांतरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे राजस्व रिकार्ड में विधिवत रूप से वर्तमान रेकर्ड के अनुसार बाद जांच अमल दरामद करके राजस्व रिकार्ड की सत्यप्रतियों सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करे। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। वकील वादी स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत करने पर डिग्री पर्चा मुर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2022 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।




 (नरेश सोनी)
 पीठासीन अधिकारी
 सहायक कलक्टर
 (S.D.O.) बालोतरा


 सहायक कलक्टर
 (एस.डी.ओ.) बालोतरा
 (S.D.O.) बालोतरा



डिकरी ब मुकदमे इबतदाई

(अर्क 20, कल 6-7 जाया बीवनी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'd' 1)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी - श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 129/2016

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

पूग्माराम पुत्र रामजी जाति पटेल (चौधरी)
निवासी बुडिवाडा तहसील पचपदरा जिला
बाडमेर

- देदा उर्फ दूदाराम पुत्र नाथाराम जाति पटेल (चौधरी) निवासी बुडिवाडा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर
- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु न्यायालय बहाजरी वादी स्वयं मिनजानिब अनुपस्थित मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादी के वाद एवं विभाजन प्रस्ताव को फाईनल रूप से निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी पृथक-पृथक विभाजित की जाती है:-

क्रं. सं.	नाम खातोदार	नाम ग्राम	खसरा नं.	रकबा (बीघा में)	किस्म भूमि	लगान (रु०)	नक्शा में अंकित रंग
1	देदाराम पुत्र नाथाराम जाति कलथी निवासी बुडिवाडा रहन एसबीबीजे टापरा	बुडीवाडा	212	29-07	बा.दो.	4.40	पीला
			316	02-11		0.38	
			334	17-12		17.12	
	योग		03	49-10	बा.दो.	7.43	
2	पूग्माराम पुत्र रामजीराम जाति कलथी निवासी बुडिवाडा रहन एसबीबीजे टापरा	बुडीवाडा	212	29-07	बा.दो.	4.41	लाल
			316	0-04		0.03	
			334	19-19		2.98	
	योग		03	49-10	बा.दो.	7.43	

तहसीलदार, पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करे संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे राजस्व रिकार्ड में विधिवत रूप से वर्तमान रेकर्ड के अनुसार बाद जांच अमल दरामद करके राजस्व रिकार्ड की सत्यप्रतियों सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करे। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिलेख अंग होगा। खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करें। बीज मुबलिंग बाबत

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.02.2022 को जारी की गई।

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(593) अ.पी.बालोतरा

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दयलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा	4-00		स्टाम्प अरजीदावा	1-00	
स्टाम्प वकालतनामा	1-00		स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत	100-00		महताना वकील		
खर्चा गयाहान			खर्चा गयाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुम्मनामा			हुम्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

